

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 06/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांक: 15.02.2024
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मनोहर लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरागी निवासी ग्राम बकानी तहसील बकानी जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी, जिला झालावाड़
2. राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर, जिला झालावाड़

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पोंड

::निर्णय::

दिनांक 27.02.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 18/अपील/2023 बउनवान मनोहर लाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बकानी द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में निर्णय दिनांक 25.07.2023 से धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बकानी की आराजी खसरा संख्या 836 रकबा 0.0126 है0 किस्म चारागाह पर भूमि पर कब्जा कर लकड़ी की टापरी से निर्मित चाय की होटल डाल कर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 3/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश कर तहसीलदार, बकानी का निर्णय दिनांक 25.07.2023 निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 13.09.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांट के पास कोई चारागाह जमीन ग्राम बकानी की खसरा सं0 836

27/02/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

रकबा 0.0126 है0 किस्म चारागाह पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। अपीलांट की जमीन खसरा सं0 836 की पीछे पुश्तैनी आराजी होने से वह रास्ते का उपयोग खसरा सं00 836 पर निकलने से करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलांट को धारा 91 का नोटिस दिया है, वह अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनने का अवसर भी नहीं दिया गया और एकतरफा कार्यवाही करके मनमाना निर्णय सुना दिया। अपीलांट का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं ना ही उस रास्ते पर काश्त की है। साथ ही कब्जा रिपोर्ट में भी अतिक्रमण हटा हुआ पाया गया है। इन तथ्यों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गौर नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ का निर्णय दिनांक 13.09.2023 एवं न्यायालय तहसीलदार, बकानी का निर्णय दिनांक 25.07.2023 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट के पास कोई चारागाह जमीन ग्राम बकानी की खसरा सं0 836 रकबा 0.0126 है0 किस्म चारागाह पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। अपीलांट की जमीन खसरा सं0 836 की पीछे पुश्तैनी आराजी होने से वह रास्ते का उपयोग खसरा सं00 836 पर निकलने से करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलांट को धारा 91 का नोटिस दिया है, वह अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनने का अवसर भी नहीं दिया गया और एकतरफा कार्यवाही करके मनमाना निर्णय सुना दिया। अपीलांट का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं ना ही उस रास्ते पर काश्त की है। साथ ही कब्जा रिपोर्ट में भी अतिक्रमण हटा हुआ पाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।
- 4 रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम बकानी की आराजी खसरा संख्या 836 रकबा 0.0126 है0 किस्म चारागाह पर भूमि पर कब्जा कर लकड़ी की टापरी से निर्मित चाय की होटल डाल कर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 3/- रुपये शास्ति से दण्डित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, बकानी द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में निर्णय दिनांक 25.07.2023 से धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बकानी की आराजी खसरा संख्या 836 रकबा 0.0126 है0 किस्म चारागाह पर भूमि पर कब्जा कर लकड़ी की टापरी से निर्मित चाय की होटल डाल कर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 3/- रुपये शास्ति से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 13.09.2023 से खारिज की गई। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट की जमीन खसरा सं0 836 की पीछे पुश्तैनी आराजी होने से वह

27/7/2025
सति. स. जायुक्त
कोटा

रास्ते का उपयोग खसरा सं00 836 पर निकलने से करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनने का अवसर भी नहीं दिया गया और एकतरफा कार्यवाही करके मनमाना निर्णय सुना दिया। अपीलांट का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं ना ही उस रास्ते पर काश्त की है। साथ ही कब्जा रिपोर्ट में भी अतिक्रमण हटा हुआ पाया गया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तहसीलदार, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ से प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.02.2025 अनुसार खसरा सं0 836 किस्म चारागाह पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार बकानी से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/189 दिनांक 17.02.2025 पर विचार करते हुए सहज न्याय के दृष्टिगत न्यायहित में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 13.09.2023 अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट को विचारण न्यायालय तहसीलदार, बकानी द्वारा पारित 90 दिवस की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ-पत्र तहसीलदार बकानी के समक्ष पेश करेगा कि उसके द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। यदि अपीलांट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा व जुर्माना/तावान राशि तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बकानी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

- 6 निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

M. K. Tiwari
 (ममता कुमारी तिवारी)
 अति0संभागीय आयुक्त
 कोटा